ताफैसला मूलवाद तक प्रदान कराई जाये तथा अन्य लाभप्रद सहायता जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है, दिलाई जाये।

विपक्षीगण द्वारा प्रा0पत्र 212 रा0टि0 एक्ट का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत् वक्त शिविर मजमें आम में प्रार्थीगण को सुना गया।

प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रा0 पत्र में की गई प्रार्थना को स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया।

मैने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया वक्त सुनवाई प्रार्थीगण द्वारा की गई प्रार्थना एवं उपलब्ध दस्तावेज पर गहनता से मनन किया। जमाबंदी संम्वत् 2061 से 2064 अंकित ग्राम मटुनिया के के बरुन हल्के आबादी में स्थित वर्तमान खाता संख्या 56 में अंकित आराजी संख्या 613, 614, 615, 616, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1580, 1811, 1812, 1813, 2050, 2051, 2052, 2057, 2058 कुल किता 21 कुल रकबा 2.80हे. एवं खाता संख्या 57 में अंकित आराजी संख्या 1576, 1577, 1578, 1579 कुल किता 4 कुल रकबा 1.80हे. तथा वर्तमान खाता संख्या 55 में अंकित आराजी संख्या 2053 रकबा 0.64हे. भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है का प्रमाण प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित होता है तथा सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0 एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के ताफैसला तक जारी की जाती है कि ग्राम मटुनिया के के बरुन हल्के आबादी में स्थित वर्तमान खाता संख्या 56 में अंकित आराजी संख्या 613, 614, 615, 616, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1580, 1811, 1812, 1813, 2050, 2051, 2052, 2057, 2058 कुल किता 21 कुल रकबा 2.80हे. एवं खाता संख्या 57 में अंकित आराजी संख्या 1576, 1577, 1578, 1579 कुल किता 4 कुल रकबा 1.80हे. तथा वर्तमान खाता संख्या 55 में अंकित आराजी संख्या 2053 रकबा 0.64हे. कृषि भूमियों की विपक्षीया संख्या 1 व 2 किसी अन्य को रहन, विकय, बक्षीस नहीं करावे एवं राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं करावे एवं विपक्षी संख्या 3 उक्त कृषि भूमियो को रहन, विकय, बक्षीस इत्यादि दस्तावेज का पंजीयन नहीं करावे व रेकार्ड की वर्तमान स्थिति कायम रखाने की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद तक प्रदान कराई जाये तथा अन्य लाभप्रद सहायता जो प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है, दिलाई जाये।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्री कृष्णपाल सिंह चौहान)
सहायक कलक्टर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला – भीलवाड़ा (राज0)
राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार–2016 ग्राम पंचायत चावण्डिया
पीठासीन अधिकारी :– कृष्णपाल सिंह चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 44/2016

1. श्री भैरुलाल पिता नानालाल माता श्रीमती शंकरी बाई बलाई निवासी कांगणी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्री गोपाललाल पिता नानालाल माता श्रीमती शंकरी बाई बलाई निवासी कांगणी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. श्री रतनलाल पिता नानालाल माता श्रीमती शंकरी बाई बलाई निवासी कांगणी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. श्री नानालाल पिता डालु बलाई निवासी कांगणी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. श्री भैरुलाल पिता सोहनलाल माता बदामी बलाई निवासी मैलुणी (गंगापुर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
6. श्री चान्दु पिता सोहनलाल माता बदामी बलाई निवासी मैलुणी (गंगापुर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
7. श्रीमती नानू बाई पुत्री सोहनलाल माता बदामी बलाई निवासी मैलुणी (गंगापुर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
8. श्रीमती मंजु पुत्री पुत्री सोहनलाल माता बदामी बलाई निवासी मैलुणी (गंगापुर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
9. श्री सोहनलाल पिता जोधा बलाई निवासी मैलुणी (गंगापुर) तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती डाली पुत्री हजारी बलाई निवासी मटुनिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्री शंकर पिता कालू रावत निवासी सबलपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय पदेन तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

आदेश
दिनांक 27.05.2016

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत् मुकाम चावण्डिया पर प्रस्तुत हुई प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मटुनिया तहसील सहाडा के बरुन हल्के आबादी में स्थित वर्तमान खाता संख्या 56 में अंकित आराजी संख्या 613, 614, 615, 616, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1580, 1811, 1812, 1813, 2050, 2051, 2052, 2057, 2058 कुल किता 21 कुल रकबा 2.80हे. एवं खाता संख्या 57 में अंकित आराजी संख्या 1576, 1577, 1578, 1579 कुल किता 4 कुल रकबा 1.80हे. तथा वर्तमान खाता संख्या 55 में अंकित आराजी संख्या 2053 रकबा 0.64हे. कृषि भूमियों की विपक्षीया संख्या 1 व 2 किसी अन्य को रहन, विकय, बक्षीस नहीं करावे एवं राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं करावे एवं विपक्षी संख्या 3 उक्त कृषि भूमियो को रहन, विकय, बक्षीस इत्यादि

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज)